HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3528/2026

Shayam Lal S/o Hemaram, Aged About 40 Years, R/o Kemari, Aamalada, Police Station Kareda, District Bhilwara,rajasthan. (At Present Lodged In District Jail Bhilwara)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rishab Bhati For Mr. S.K. Bhati
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/03/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. पुलिस थाना करेड़ा, जिला भीलवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 51/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

2. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

3. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में 117 ग्राम अफीम दूध बरामद हुआ है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है तथा जो अफीम के पौधे बरामद हुए हैं वह एनडीपीएस एक्ट की सूची के मुताबिक नोट 3 में 18सी के अपराध की श्रेणी में आता है। इस आधार पर धारा 37 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः इस आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में प्रार्थी–अभियुक्त से स्टील की केटली से केटली सहित 117 ग्राम अफीम दूध तथा उसके कब्जेशुदा आराजी से अवैध अफीम के पौधे जिनके सफेद फुल व डोडे आये हुये थे जिनको एक साथ कर गिनती की गई तो 294 पौधे अफीम के बरामद हुए जिनका कुल वजन 16 किलो 300 ग्राम था, जो बिना कानूनी परमिट व संबंधित विभाग के द्वारा जारी पट्टे के अभाव में अफीम की बुआई कर फसल तैयार किये हुए थे। इस आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में 117 ग्राम अफीम दूध बरामद हुआ है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है तथा जो अफीम के पौधे बरामद हुए हैं वह एनडीपीएस एक्ट की सूची के मुताबिक नोट 3 में 18सी के अपराध की श्रेणी में आता है। इस आधार पर धारा 37 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई प्रकरण दर्ज नहीं है।

6. अतः बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

7. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **श्यामलाल पुत्र हेमाराम,** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में योग्य अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

143-mayank/-